SEM-VI, DSE-4(A)

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF INDIA'S FOREIGN POLICY

भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य

डा० उपेन्द्र कुमार गुप्ता
पास महाविद्यालय, पास

एक देश की विदेश नीति, विश्व राजनीति का वह सैद्धांतिक पहलू है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करता है। व्यवहारिक दृष्टि से विदेश नीति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक साधन है, जो कि राष्ट्रों के परस्पर संबंधों का संचालन करता है। इसीलिए विभिन्न राष्ट्रों की व्यवहारिक प्रक्रिया ही विदेश नीति है।

विदेश नीति के अर्थ को कई विद्वानों ने विविध तरीकों से परिभाषित किया है। श्लाइचर ने विदेश नीति को उन उद्देश्यों, योजनाओं और क्रियाओं को सम्मिलित रूप माना है जो एक राज्य के संबंध स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए करता है। जार्ज माडेल्सकी के अनुसार 'विदेश नीति राज्य की गतिविधियों का व्यवस्थित एवं विकसित रूप है, जिसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने अथवा अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं।'

रोडो एण्डरसन तथा क्रिस्टल के अनुसार 'विदेश नीति के अंतर्गत नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है, जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्द्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत शुरू करता है।' इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति जो नीति अपनाता है वही विदेश नीति है, जिसका उद्देश्य सिद्धांत और व्यवहार द्वारा राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना होता है। वास्तव में विदेश नीति एक जटिल एवं गतिशील कूटनीतिक मार्ग है।

किसी देश की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति, उनकी पूर्ति एवं रक्षा करना होता है। देश का आंतरिक विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाना, राष्ट्र शक्ति में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ-साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति विदेश नीति के प्रमुख आधार हैं। प्रायः देश संधि-वार्ताओं, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों, क्षेत्रीय सुरक्षा संधियों, आर्थिक सहयोग संगठनों, कूटनीतिक संबंधों की स्थापना, राजदूतों की नियुक्ति नई एवं नवोदित राष्ट्रों एवं सरकारों को मान्यता, अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक वैज्ञानिक शैक्षणिक संबंधों की स्थापना, विश्व संगठनों का उपयोग और कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर कूटनीतिक संबंधों को समाप्त कर, विरोध पत्र एवं चेतावनी देकर अथवा युद्ध का सहारा लेकर विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

Scanned with CamScanner

प्राय: सभी देशों की विदेश नीति स्थायी एवं गतिशील कारकों द्वारा निर्धारित होती है। स्थायी कारकों में देश की भू-राजनीतिक स्थिति, प्राकृतिक खनिज सम्पदा, देश की सांस्कृतिक परम्पराएं, ऐतिहासिक अनुभव, दार्शनिक दृष्टिकोण, राजनैतिक मान्यताएं, सैनिक क्षमता, आर्थिक क्षमता एवं राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय हित तथा गतिशील कारकों में देश की आंतरिक स्थिति, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व, विज्ञान और तकनीकी विकास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं विश्व शांति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की नीति, रंगभेद एवं नस्लवाद के विरोध की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था एवं राष्ट्रमण्डल की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका आदि की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

विदेश नीति के सिद्धांत

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन किया। 7 सितम्बर, 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद सर्वप्रथम पं. जवाहर लाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की। पं. नेहरू ने कहा कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ अपने निकट संबंध रखेगा। विश्व शांति एवं स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करेगा। भारत अपने आपको शक्ति की राजनीति से पृथक रखेगा तथा दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत दुनिया के औपनिवेशिक देशों की स्वाधीनता एवं व्यक्तियों की मुक्ति के लिए कार्य करेगा। भारत जातीय भेदभाव की नीति का परित्याग करेगा। भारत ब्रिटेन के साथ तथा राष्ट्रमण्डल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेगा, अमेरिका और सोवियत रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेगा। अफ्रीकी, एशियाई देशों के साथ निकट के संबंध रखेगा। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद से आज तक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भारतीय नजरिए ने भारतीय विदेश नीति के इन सिद्धांतों अथवा विशेषताओं को विकसित किया:

- असंलग्नता की नीति
- उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं जातिवाद का विरोध करने की नीति
- मुक्ति-संघर्ष एवं स्वाधीनता आन्दोलन को समर्थन देने की नीति
- विश्व-शांति को बढ़ावा देना
- विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना
- पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विशेष मित्रतापूर्ण संबंध बनाना
- किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना
- विकासशील राष्ट्रों के साथ सहयोग करना
- विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक गतिरोध को कम करने का प्रयास करना
- विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करना
- पंचशील के सिद्धांत का प्रचार करना
- संयुक्त-राष्ट्र में आस्था व्यक्त करना तथा उसके द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्ण कार्यों को सहयोग देना
- आधुनिक शस्त्रों के प्रसार को रोकना, अणु बमों के परीक्षण का विरोध करना अर्थात् नि:शस्त्रीकरण की नीति
- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आण्विक शक्ति के प्रयोग करने का प्रचार करना
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग एवं उत्तर-दक्षिण सहयोग के विचारों को प्रोत्साहित करना
- पारस्परिक आर्थिक एवं जनहितों की रक्षा के लिए एशियाई-अफ्रीकी देशों को संगठित करना।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति जिन उद्देश्यों को लेकर बनी समय और परिस्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए अपने उद्देश्यों को भी उजागर करती रही है। समय-समय पर इन नीतियों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन हुए जो हमारी गतिशीलता, संवेदनशीलता तथा लचीलेपन को दर्शाती है। विदेश नीति दरअसल उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। परंतु विदेश नीति का साध्य क्या है? भारतीय विदेश नीति का साध्य क्या है? आदि प्रश्नों का समाधान भी हमे विदेश नीति के अंतर्गत ही ढूंढने हैं।

Scanned with CamScanner

भारतीय वैदेशिक नीति के मुख्य तत्वों में विश्व शांति व सद्भावना, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, पंचशील, विरोधी गुटों के मध्य सेतु की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों में विश्वास आदि प्रमुख है. इसे भारतीय वैदेशिक नीति की बुनियाद भी माना जाता है. भारतीय वैदेशिक नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जा सकता है–

1. विश्व शांति–भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है. भारत ने प्रारम्भ से ही यह महसूस किया है कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है. अगस्त 1954 में पणिक्कर ने कहा था, "भारत को इस बात की बड़ी चिन्ता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न

Scanned with CamScanner

हो." इसके लिए भारत प्रयासरत् भी रहा है. उदाहरणतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से नदियों के पानी पर चल रहे भारत-पाक विवाद के कारण जो दोनों देशों में तनाव था उसे 1960 में 'सिन्धु जल संधि' द्वारा हल किया गया. कच्छ के प्रश्न को लेकर जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत ने समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए एक त्रि-सदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया और भारतीय जनता के कड़े विरोध के बाद भी भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर और सम्बन्धों को सुधारने हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय को स्वीकार कर लिया. 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाक को वे क्षेत्र लौटा दिए, जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे. 1971 के युद्ध के बाद भी भारत ने पाक के प्रति सद्भावना का दृष्टिकोण अपनाया और 1972 में शिमला समझौते में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बल दिया. अप्रैल 1974 में त्रिपक्षीय समझौते द्वारा युद्धबंदियों को लौटा दिया. उन 145 युद्धबंदियों को भी लौटा दिया गया, जिन पर बांग्लादेश अमानुषिक हत्याओं के मुकदमे चलाना चाहता था. यह शांतिपूर्ण सहजीवन की नीति का प्रतीक है कि भारत ने राष्ट्रीय हित के बलिदान पर भी सितम्बर 1977 के फरक्का समझौते द्वारा पानी की कमी वाले दिनों में बांग्लादेश को गंगा का पानी अधिक देना स्वीकार कर लिया. इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय वैदेशिक नीति का आधार या मूल तत्व विश्व शांति रहा है.

2. गुटनिरपेक्षता–विश्व शांति की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक महत्वपूर्ण पहल थी. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्ध विराम तो हो गया, परन्तु शांति बहाल न हो सकी. मित्र राष्ट्रों के बीच दरार पड़ गयी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का जन्म हो गया. आण्विक हथियारों के आविष्कार के बाद पारम्परिक शक्ति सन्तुलन का स्थान आतंक के सन्तुलन ने ले लिया. इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बेहद तनावपूर्ण और जोखिम भरी हो गईं, परन्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेहद चालाकी के साथ नवोदित राष्ट्रों के सामने गुटनिरपेक्षता की नीति पर अमल का सुझाव दिया. स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ निष्क्रियता, उदासीनता, तटस्थता या अवसरवादिता न होकर अपनी स्वाधीनता को मुखर कर स्वविवेक के अनुसार अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल विकल्प चुनना ही वास्तविक गुटनिरपेक्षता थी.

भारत अपने वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त के रूप में गुटनिरपेक्षता को अपनाता है. इस नीति के तहत् भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर स्वतन्त्र भूमिका निभाता है और गुटबंदियों से अपने आपको अलग रखता है.

3. पंचशील सम्बन्धी नीति–भारतीय वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त के रूप में पंचशील को माना जा सकता है, जो अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता, पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मान्यताओं पर आधारित है.

पंचशील के पाँच सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी भारत की शांति-प्रियता का द्योतक है. 1954 के बाद से भारत की नीति में पंचशील के सिद्धान्तों ने एक नयी दिशा प्रदान की. पंचशील से अभिप्राय है–आचरण के पाँच सिद्धान्त. जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं. उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धान्तों द्वारा राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के साथ आचरण के सम्बन्ध निश्चित किए गए. ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

(i) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना.
(ii) अनाक्रमण.
(iii) एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना.
(iv) समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा
(v) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व.

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल, 1954 को तिब्बत के सम्बन्ध में भारत-चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था. 28 जून, 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई तथा भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने 'पंचशील' में अपने व्यवहार को दोहराया. एशिया के प्रायः सभी देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया. अप्रैल 1955 में 'बाण्डुंग सम्मेलन' में इन पंचशील के सिद्धान्तों को पुनः विस्तृत रूप दे दिया गया. 'बाण्डुंग सम्मेलन' के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने 'पंचशील' सिद्धान्त को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की. 2 अप्रैल, 1955 तक बर्मा, लाओस, नेपाल, वियतनाम, यूगोस्लाविया और कम्बोडिया ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया. सन् 1955 में ही आस्ट्रिया, रूस, पोलैण्ड, यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया ने भी पंचशील को मान्यता दी. 14 दिसम्बर, 1959 को 82 राष्ट्रों ने यू.एन.ओ. के सुरक्षा परिषद् द्वारा उपस्थित किए गए पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इस प्रकार पंचशील को सम्पूर्ण विश्व में मान्यता मिल गई.

पंचशील बहुत कुछ सन् 1928 के केलॉग ब्रीआं पैक्ट के समान था, जिसके तहत् अधिकांश विश्व के राज्यों ने विश्व की सुरक्षा के लिए युद्ध परित्याग की कसमें खायीं, हालाँकि ऐसा नहीं हुआ. पंचशील का भी उल्लंघन चीन ने भारत पर आक्रमण करके कर दिया. रूस ने इस सिद्धान्त को मानने के बावजूद हंगरी पर आक्रमण कर दिया. इण्डोनेशिया ने पंचशील के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा के बावजूद मलेशिया के प्रति आक्रमण की नीति अपनायी.

4. साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध–विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता एवं निःशस्त्रीकरण के समर्थक होने के बावजूद नेहरू द्वारा निर्धारित भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्तों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का कट्टर विरोध शामिल था. ऊपरी तौर पर भले ही इसमें विरोधाभास देखने को मिले, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही थी. नेहरू जी ने इस बात का खुलासा बहुत पहले ही कर दिया था कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद से विश्व को सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन नेहरू इस खतरे से लड़ने की बात कहते थे. भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त इन तत्वों के खिलाफ रहा. हमेशा से ही भारत साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाता आया है. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में भारतीय नीति स्मरणीय है.

5. निःशस्त्रीकरण–जिस प्रकार गुटनिरपेक्षता का सम्बन्ध विश्व शांति से था, उसी प्रकार निःशस्त्रीकरण का सम्बन्ध भी गुटनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ था. जब तक शस्त्रों को जमा करने की होड़ लगी हुई थी, तब तक विश्व शांति सम्भव नहीं थी. शस्त्रीकरण की होड़ निश्चित ही युद्ध का माहौल तैयार कर रहा था, जिसमें सैनिक संगठन; शत्रु की घेराबंदी, जोर आजमाईश आदि से बचना कठिन था. परमाणु शस्त्रों के आविष्कार ने शस्त्रीकरण की समस्या के और भी खतरनाक आधार तैयार हो रहा था. कई लोगों का यह भी मानना है कि नेहरूजी के लिए विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण अलग-अलग मुद्दे नहीं थे. नेहरूजी ने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच से निःशस्त्रीकरण का संदेश दिया. इसके चलते वे अपने जिगरी दोस्त से टकराव का

Scanned with CamScanner

रास्ता अख्तियार करने से भी बाज नहीं आए. गुटनिरपेक्षता के समर्थक देशों के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1965) में सुकर्णों के साथ उनकी मनमुटाव निःशस्त्रीकरण बनाम नव-उपनिवेशवाद को लेकर ही हुई थी. कुछ विद्वानों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू की आस्था इसलिए थी कि क्योंकि वह समझते थे कि स्वतन्त्र या सम्प्रभु राष्ट्र अपनी इच्छा से शस्त्र त्याग की नीति नहीं अपना सकते, जब तक कि उस राष्ट्र के सामने व्यावहारिक सामूहिक सुरक्षा दिखाई पड़े. निःशस्त्रीकरण के पीछे नेहरू जी की कोई दुर्बलता नहीं थी. जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए अगर शस्त्र प्रयोग करना पड़े, तो ऐसे न्यायसंगत मामले पर नेहरूजी को कोई दिक्कत नहीं थी. गोवा, कश्मीर और चीन इसके अच्छे उदाहरण हैं.

6. एफ्रो-एशियाई एकता—नेहरूजी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि विश्व के सभी गरीब एवं स्वतन्त्रता से वंचित राष्ट्र एवं समाज के लिए समान हित है. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध हो या गुटनिरपेक्षतावाद आन्दोलन के संचालन द्वारा विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण को आगे ले जाने का प्रश्न, इसके लिए एफ्रो-एशियाई देशों के बीच एकता एवं भाईचारे की सख्त जरूरत थी. नेहरू जी द्वारा एफ्रो-एशियाई एकता व भाईचारे की बात करना कोई भावना या आवेश नहीं, बल्कि तर्क और न्याय पर आधारित था.

7. संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था—संयुक्त राष्ट्र के प्रति नेहरू का झुकाव किसी आदर्शवादी नादानी से प्रभावित नहीं था, बल्कि स्थिति को देखते हुए व्यवहार में परिवर्तन के कारण उभरा था. नेहरू जी यथार्थवादी तरीके से जानते थे कि वीटो के कारण दो महाशक्तियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों को बिचौलिया की रचनात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है और सदस्य देशों की जमात में एफ्रो-एशियाई देशों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इस मंच का प्रयोग विश्व शांति की स्थापना, निःशस्त्रीकरण के प्रसार और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में बखूबी अपनी भूमिका निभा सकता है.

Scanned with CamScanner

विदेश नीति के उद्देश्य

किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना ही है। हमारे राष्ट्रीय हित निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है।
- भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना, तथा एशिया को महाशक्ति के रूप में उभारना।
- अफ्रीकी-एशियाई देशों के मध्य सहयोग एवं परस्पर सहमति को बढ़ावा देना ताकि विश्व राजनीति में अफ्रीकी-एशियाई देशों का उचित स्थान मिले।
- उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं जातिगत भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष करने एवं विश्व शक्ति के लिए जनमत तैयार करना।
- शक्ति गुटों एवं सैनिक गठबन्धन से पृथक् रहना।
- आर्थिक विकास के लिए विदेशी मदद के प्रलोभन से दूर रहना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका निभाना।
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना।
- गुट निरपेक्ष आन्दोलन एवं समूह-77 (G-77) को नेतृत्व प्रदान करना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रो-एशियाई गुट की मांगो एवं समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना।
- नि:शस्त्रीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- नाभिकीय एवं आणुविक हथियारों के निर्माण एवं उपयोग का विरोध करना।
- नयी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रेरित करना।
- क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि करना।

Scanned with CamScanner

बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य और भारतीय वैदेशिक नीति में पुनर्विचार की आवश्यकता

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की वैदेशिक नीति की रूपरेखा पंडित नेहरू की अगुआई में तैयार की गई थी. सही मायने में यह विगत परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रहित को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का केवल साधन ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक था. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की विशेष पहचान एवं इसकी विशेष प्रकार की भूमिका को दर्शाती थी, परन्तु वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी उतार-चढ़ाव आया है और बीते हुए कुछ महीनों एवं वर्षों में होने वाला यह एक व्यापक नाटकीय परिवर्तन था, परिवर्तनों का दौर जारी है, आने वाले समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का रंगरूप क्या होगा? इसका अनुमान लगाना एक विचारणीय प्रश्न है. दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति संक्रमण के दौर से गुजर रही है. ऐसे समय में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल वैदेशिक नीति को नया रूप देने का है, जिससे कि भारत बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में अपने को पुनःस्थापित कर सके. इस विषम परिस्थिति में भारत को अपनी वैदेशिक नीति को अन्तर्राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुरूप निर्धारित करना होगा. इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्धारण की यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होगी.

Scanned with CamScanner

विश्व के बदलते राजनीतिक परिवेश में भारत को समायोजन की नीति का पालन करना उचित होगा. इसके द्वारा भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मंच पर एक प्रमुख नायक की भूमिका भी निभा सकता है. किसी भी देश के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति समान विचारधारा पर आधारित हो. ऐसा न हो कि विदेशी सहयोग एवं सहायता के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान एवं गरिमा की आहूति दे दी जाए और हम किसी राष्ट्र के पिछलग्गू की भूमिका निभाएं. आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप अपना वैदेशिक नीति निर्धारित करे.

Scanned with CamScanner

स्मरणीय तथ्य
(Points to Remember)

- पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस सम्मेलन में सितम्बर 1946 में कहा था कि "वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़ता-पूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा. साथ ही वह दुनिया के शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील होगा."
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति की मूल बातों का समावेश किया गया है.
- भारतीय वैदेशिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं–(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए हरसम्भव प्रयास करना, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा निपटाना, (iii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए नियमों का निर्माण करना, (iv) सैनिक गुटबन्दी से दूर रहना तथा ऐसी गुटबन्दी का तीव्र विरोध करना, (v) उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद रंगभेद आदि का विरोध करना चाहे वे किसी भी देश में हों, (vi) राज्यों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को कायम करना इत्यादि.

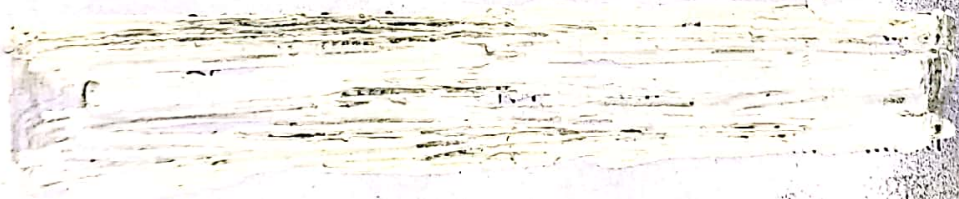

- भारत की वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तों में–(i) गुटनिरपेक्षता, (ii) पंचशील, (iii) उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, (iv) क्षेत्रीय सहयोग, (v) निःशस्त्रीकरण का समर्थन, (vi) लोकतन्त्र के प्रचार-प्रसार के प्रति प्रतिबद्धता आदि.
- भारत की वैदेशिक नीति विश्व शान्ति, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के प्रभाव में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ-साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सौहार्द्र की स्थापना का लक्ष्य रखता है.
- भारत की वैदेशिक नीति की निर्माणक संस्थाओं में–(i) विदेश मंत्रालय, (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, (iii) प्रधानमंत्री कार्यालय (P.M.O.), (iv) संसदीय समिति, (v) भारतीय विदेश नीति परिषद् तथा (vi) भारतीय विद्वानों के विचार मंच आदि प्रमुख हैं.

Scanned with CamScanner